Punjab Kesari- Chandigarh

सारंगपुर स्थित एन.एम.आई.एम.एस. स्कूल ऑफ लॉ ने दूसरी राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता का किया आयोजन

मूट कोर्ट प्रतियोगिता का विजेता बना सिम्बायोसिस लॉ स्कूल नोएडा, दूसरे स्थान पर रहा यू.एस.एल.एल.एस. दिल्ली

चंडीगढ़ 14 मार्च (आशीष): सारंगपुर स्थित एन.एम.आई.एम.एस. स्कूल ऑफ लॉ ने दो दिवसीय द्वितीय राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता 2026 का आयोजन किया। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में देशभर के प्रमुख विधि संस्थानों के प्रतिभाशाली विधि छात्र शामिल हुए, जिन्होंने कानूनी अनुसंधान, वकालत और न्यायालयीय तर्क-वितर्क की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया।

प्रतियोगिता में सिम्बायोसिस लॉ स्कूल नोएडा को घोषित किया गया विजेता, जबकि गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के यू.एस.एल.एल.एस. दिल्ली ने उपविजेता स्थान प्राप्त किया।

कार्यक्रम का शुभारंभ आयोजित उद्घाटन समारोह से हुआ, जिसमें सुप्रीमकोर्ट आफ इंडिया के न्यायाधीश राजेश बिंदल मुख्यातिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में वीरेंद्र सिंह और बलराम के गुप्ता ने शोभा बढाई। दो दिवसीय इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देशभर के प्रतिष्ठित विधि संस्थानों की 32 टीमों ने भाग लिया। मूट समस्या संवैधानिक कानून और बौद्धिक संपदा अधिकार के जटिल मुद्दों पर आधारित थी। यह मामला कॉपीराइट संरक्षण और शैक्षणिक सामग्री तक पहुंच के बीच संतुलन के प्रश्न पर केंद्रित था। इसके साथ ही समस्या में साहित्यिक और कलात्मक कृतियों के संरक्षण हेतु बर्न कन्वेंशन का भी उल्लेख किया गया, जो वैश्विक कॉपीराइट कानून का एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समझौता है।

दो दिनों तक चले स्मारक प्रस्तुतिकरण, प्रारंभिक दौर और न्यायालय शैली में हुए तीव्र वाद-विवाद के बाद प्रतियोगिता का समापन शनिवार को आयोजित समापन समारोह के साथ हुआ। इस अवसर पर ऋतु बहरी मुख्यातिथि तथा सुदीप्ति शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं।

जगदीश बी. पारिख ने कहा कि मूट कोर्ट एक काल्पनिक न्यायालय का वातावरण तैयार करता है, जहां छात्र अपनी वकालत, अनुसंधान और कानूनी तर्कशक्ति का प्रदर्शन करते हैं। ऋतु बहरी ने जीवन को खुले और सकारात्मक दृष्टिकोण से जीने पर बल देते हुए छात्रों को ईमानदारी, आत्मविश्वास और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि ज्ञान का अंतिम उद्देश्य सेवा होना चाहिए, जहां व्यक्ति अपनी क्षमताओं और ज्ञान का उपयोग समाज के हित में करे और नई पीढ़ी को सही दिशा प्रदान करे।

प्रतियोगिता में सफल विजेता टीम पुरस्कार हासिल करती हुई। (के. एस. राणा)

न्यायपालिका के डिजिटल संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया

राजेश बिंदल ने कहा कि मूट कोर्ट केवल मौखिक बहस से शुरू नहीं होता बल्कि यह उस समय से आरंभ हो जाता है जब छात्रों को समस्या दी जाती है। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कार्यवाही को प्रत्यक्ष रूप से देखना जैसे सरल अनुभव भी भावी वकीलों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने छात्रों को न्यायपालिका की वैबसाइटों और डिजिटल संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके साथ ही यह भी कहा कि तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता से बचते हुए निरंतर सीखते रहना ही एक सफल विधि पेशेवर की पहचान है।